प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 430 / 2023

अनवान : –

1. मनमोहन सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी मोधुवाली तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रघुवीर सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाण मोधुवाली तहसील नोहर।
2. गुरमेल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
3. कर्णवीर सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
4. प्रविन्द्र कौर पुत्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 03.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 117 / 99 की कुल 2.5300 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 29 / 10 की कुल 2.1250 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 3 व 4 प्रतिवादी स0 1 व 2 के साथ बहिब हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का दादा है एवं वयोवृद्ध व्यक्ति है तथा उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पौत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा [illegible] रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 117/99 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा खाता संख्या 29/10 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 2.1250 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 117/99 की कुल 2.5300 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 29/10 की कुल 2.1250 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजों से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:32 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 117/99 की कुल 2.5300 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खाता संख्या 29/10 की कुल 2.1250 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक......3.6.23......को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 430/2023

अनवान : –

1. मनमोहन सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी मोधुवाली तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रघुवीर सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाण मोधुवाली।
2. गुरमेल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
3. कर्णवीर सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
4. प्रविन्द्र कौर पुत्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 430 सन 2023 निर्णय दिनांक 03.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 117/99 की कुल 2.5300 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खाता संख्या 29/10 की कुल 2.1250 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:32 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना